include cooks is not abnormal as it did not show a statistically significant difference. No special steps for prevention of this disease amongst the army Cooks are, therefore, considered necessary. If, during the routine monthly medical check-up, an army Cook is suspected to be suffering from this disease, he ceases to be employed on cooking duties; his case is fully medically investigated and he is given either "outdoor-patient" treatment or hospitalised, as necessary.

Naming of Disputed Area in Jammu and Kashmir as Thako Chok

5367. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether in the joint statement issued in Lahore (Pakistan) at the conclusion of the bilateral talks between the Chiefs of Army Staff of India and Pakistan in connection with the dispute of the delineation of line of control in Jammu and Kashmir, the disputed piece of land has been referred to as 'Thako Chok',

(b) the original name of the piece of land;

(c) whether the Indian Chief has not accepted the name "Thako Chok" which the Pakistan side has been referring and which appears to be correct; and

(d) the latest developments with regard to the settlement of the dispute?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) The disputed area is referred to as 'Thako Chak' in the joint statement.

(b) The original name as mentioned in revenue records is 'थको चक' (Thako Chak)

(c) The Pakistan side initially called the place Tahkho Chak; but in the joint statement the place was referred to as 'Thako Chak.

(d) The area has already been vacated by Pakistani troops.

Delay in Appointments to Indian Missions Abroad

5368. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for delay in appointments of Diplomats, Heads of Missions and Ambassadors to various countries where the vacancies exist;

(b) the number and places of vacancies awaiting Government's decision for appointments; and

(c) the time by which the task of such appointments is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) There is no deliberate delay in the appointments of our Heads of Missions, Ambassadors and other senior ranking diplomats to various countries After appointment the officer needs to take leave or to have briefings and consultations and complete formalities. All this takes time.

(b) and (c). The following vacancies exist in our Missions abroad, where appointments have not been made;

1. London (United Kingdom) —High Commissioner
2. Phnom Penh (Cambodia)—Ambassador
3. Muscat (Oman) —Ambassador
4. Peking (China) —Ambassador

In filling the above vacancies the Foreign Minister and Prime Minister have to exercise their discretion. The matter is under Government's consideration.

गैर-सरकारी उद्योगों में मजदूरों के बारे में स्थायी नियम

5369. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक गैर-सरकारी उद्योग काम चलाने के लिए अपने मजदूरों के लिए अलग-अलग स्थायी नियम बनाता है ;

(ख) क्या इन नियमो को मजदूरो पर लागू करने से पूर्व संबधित राज्यो के श्रम विभागो द्वारा इनकी जाच की जाती है तथा इनका अनुमोदन किया जाता है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ,

(ग) क्या ये गैर-सरकारी उद्योग अपने नियमो मे किए गए परिवर्तनो के बारे मे अपने-अपने राज्यो के श्रम विभागो को सूचित करते हैं , और

(घ) क्या सबधित राज्यो के श्रम विभाग के पूर्व अनुमोदन क बिना ऐसे नियमो से कोई परिवर्तन नही किया जा सकता ?

श्रम और पुनर्वास मत्री (श्री ग.र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानो के नियोजको के लिए उचित सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रमाणक अधिकारियो द्वारा स्थायी आदेशो को प्रमाणित कराना अपेक्षित है । अधिनियम उचित सरकार द्वारा आदेश स्थायी आदेश तैयार करने और उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था करता है जिनमे उन प्रतिष्ठानो मे जहा प्रमाणित स्थायी आदेश नही है, आदर्श स्थायी आदेश लागू होगे ।

(ग) और (घ) अधिनियम प्रमाणित स्थायी आदेशो से सुधार हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति निर्धारित करता है । इस पद्धति के अनुसार, सुधारो को प्रमाणक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है । नियोजक उनमें एक पक्षीय रूप से सुधार नही कर सकता । प्रमाणित स्थायी आदेशो मे नियोजको और श्रमिको के बीच समझौते द्वारा भी सुधार किया जा सकता है ।

गाडोलिया लुहारो को इस्पात की सप्लाई

5370. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या देश मे आज भी गाडोलिया लूहार लाखो की सख्या मे है ,

(ख) क्या वे परम्परा से अपने हाथो से लोहे की बनी वस्तुओ की मरम्मत करने है तथा दैनिक जीवन के उपयोग मे आने वाली लोहे की छोटी मोटी वस्तुए बनाते है ,

(ग) क्या सरकार ने इन घरेलू उद्योग धन्धो को जीवित रखने के लिए तथा गाडोलिया लहारो की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हे इस्पात सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की है , यदि नही, तो इसके क्या कारण है , और

(घ) यदि हा, तो उन्हे किस आधार पर कितना इस्पात सप्लाई किया जाता है ?

इस्पात और खान मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) सम्प्रदाय क्रम मे न तो आवटन किए जाते है और न आकडे ही रखे जाते हैं फिर भी यह बता दिया जाये कि लघु उद्योग एककी को सप्लाई अपने-अपन लघु उद्योग निगमो के माध्यम से की जाती है और प्रत्येक लघु उद्योग एकक को कारपोरेशन से सम्पर्क स्थापित करना पडता है । सम्बन्धित उद्योग निदेशक की सिफारिश पर मुख्य उत्पादको के स्टाकयार्डों से भी लघु उद्योग एककों को थोडी मात्रा मे साख सप्लाई किया जाता है ।